पेज नंबर 1/3

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 15/2018

अपीलांट

1. मंगलाराम पुत्र पुनमाजी
2. जेमाराम पुत्र पुनमाजी जातियान चौधरी, निवासीगण आलवाडा, तहसील सायला, जिला जालौर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. धूपाराम पुत्र पुनमा, जाति चौधरी निवासी आलवाडा, तह. सायला
2. पूनमा पुत्र गणेशा चौधरी
3. संवला पुत्र पुनमा चौधरी, निवासीगण आलवाडा, तह सायला
4. अणसीदेवी पुत्री पूनमा पत्नी लच्छाराम, जाति चौधरी, निवासी आलवाडा, हाल दूधवा
5. रमकुदेवी पुत्री पूनमा पत्नी श्री धनरूपा, जाति चौधरी, नि. आलवडा
6. मुजू पुत्री पुनमा चौधरी, निवासी आलवाडा, तह. सायला
7. मफरी देवी पुत्री पूनमा पत्नी उका, जाति चौधरी, निवासी आलवाडा हाल दूधवा
8. कमला पुत्री पूनमा पत्नी हरसन जाति चौधरी, निवासी आलवाडा, हाल लूम्बा की ढाणी
9. भूमिधारी तहसीलदार, सायला, तह. सायला, जिला जालौर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टस।
2. श्री अशोक माली, विद्वान अभि. रेस्पो0 संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 09 की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 7/09/2021

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 07/2018 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन

तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 08 अनुपस्थित होने से उक्त के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल लाये जाने का आदेश प्रदान कर गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त आराजी ग्राम आलवाडा, तहसील सायला में वर्तमान खसरा संख्या 68, 73, 74, 82, 566, 567, 568, 569, 596, 597 कुल खसरे 10 कुल रकबा 13.38 हैक्टर में मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का अनुतोष मांगा है जबकि वास्तव मं प्रार्थी धुपाराम पुत्र पुनमा का नाम वादग्रस्त आराजी में कभी दर्ज नही ओर ना ही कभी कब्जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थी धुपाराम की न तो खातेदारी दर्ज है ओर न ही सहखातेदारी कही पर दर्ज है। न कब्जा है। इस प्रकार वर्तमान रेस्पो0 धुपाराम के पक्ष में न तो प्रथमदृष्टया केस बनता है और कब्जा न होने से उसे अपूर्णिय क्षति भी नही हो रही है। और यह दौनो बिन्दु वर्तमान रेस्पो0 के पक्ष मे न होने से सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में नही है। इसके विपरित पुनमा पुत्र गणेशा न मंगला राम, सावंलाराम, जैमाराम, पुत्र पुनमाराम के पक्ष में रजिस्टर्ड बक्शिशनामा के अनुसार म्युटेशन संख्या 695 दिनांक 06.04.2018 को स्वीकृत होकर वर्तमान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 सावंला के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार अपीलांट खातेदार है। और कब्जे में है। पूनमा पुत्र गणेशा के अकेले की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी जिन्होने जरिये रजिस्टर्ड गिफट डीड मंगलाराम, सावंलाराम, जेमाराम पिसरान पूनमाराम को दे दी जिसका नियमानुसार म्युटेशन संख्या 695 दिनांक 06.04.2018 को तीनो के पक्ष में निर्णत होकर वर्तमन जमाबंदी संवंत 2069–2072 जिसकी नकल 09.04.2018 को प्राप्त की उसमें खातेदारी दर्ज है। इसी मापिक मौके पर कब्जा काश्त है। जिसमे टयूबवेल है जिस पर विद्युत कनेक्शन(कृषि) पूनमाराम के नाम से लिया हुआ है। जो हमारे पिताजी है। ऐसी स्थिति में धुपाराम द्वारा सहायक कलैक्टर सायला में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2018 भी निरस्त किया जावे। उपरोक्त आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपील बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांटगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी ग्राम आलवाडा, तहसील सायला में वर्तमान खसरा संख्या 68, 73, 74, 82, 566, 567, 568, 569, 596, 597 कुल खसरे 10 कुल रकबा 13.38 हैक्टर में मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का अनुतोष मांगा है, जिस पर जैर अपील आदेश पारित किया गया। जैर अपील आदेश में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों की पूर्णतया पालना करते हुए पारित किया गया है। जो विधि सम्मत है। जिस अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील

आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांटगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी ग्राम आलवाडा, तहसील सायला में वर्तमान खसरा संख्या 68, 73, 74, 82, 566, 567, 568, 569, 596, 597 कुल खसरे 10 कुल रकबा 13.38 हैक्टर में मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का अनुतोष मांगा है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट रेकर्डेड खातेदार है। इसके बाबजूद अपीलाधीन आदेश अपीलांट के विरूद्ध पारित किया गया है। जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्याायलय द्वारा विधि (LAW) को ध्यान में न रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 07/2018 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2018 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र भी निरस्त किया जाता है। उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 7/09/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
7/09/2021